

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- महाराजगंजगम्भीरपूर रूप से मारपीट कर घायल करने वाले 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 26.06.22 को उ0नि0 सुधीर पाण्डेय मय हमराही को सूचना मिली कि मु0अ0सं0 247/22 धारा 323, 504, 506, 308 IPC थाना महाराजगंज आजमगढ़ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1.बलीराम यादव S/O रामकेर यादव व 2.महातम यादव S/O चन्नर यादव निवासीगण गोन्दापुर कोतवाली महाराजगंज जनपद – आजमगढ़ थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ भीलमपुर के पास मौजूद हैं यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर तत्काल उ0नि0 मय हमराही भीलमपुर पुलिस के पास आये जहाँ पर दो व्यक्ति खड़ा दिखाई दिये, जिन्ह पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम क्रमशः 1.बलीराम यादव S/O रामकेर यादव 2. महातम यादव S/O चन्नर यादव निवासीगण गोन्दापुर कोतवाली महाराजगंज जनपद – आजमगढ़ बताया। अभियुक्तों को समय करीब 01.05 PM में हिरासत पुलिस मे लिया गया।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 247/22 धारा 323, 504, 506, 308 IPC थाना महाराजगंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1. बलीराम पुत्र रामकेर यादव 2. महातम यादव पुत्र चन्नर यादव निवासीगण गोन्दापुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SO श्री ब्रह्मदीन पाण्डेय के नेतृत्व में उ0नि0 सुधीर पाण्डेय मय हमराह का0 संतोष गुप्ता, का0 रविकान्त थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

थाना अतरौलियादुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

1. पूर्व का विवरण- अभियुक्त द्वारा पीड़िता से जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाना और कहना कि यदि उससे शादी नहीं करेगी तो जान से मारने की धमकी दी गयी, जिसके सम्बन्ध में पीड़िता की लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर दिनांक 25.06.2022 को मु0अ0सं0 213/22 धारा 376/506 IPC व, 3(2)5क SC/ST ACT थाना अतरौलिया जिला आजमगढ़ बनाम 1. इरशाद अहमद पुत्र स्व0 वकील अहमद निवासी अचलीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया दौराने विवेचना धारा 452 IPC की बढ़ोत्तरी की गयी।

2. गिरफ्तारी का विवरण:- आज दिनांक 26.06.22 को SO मदन कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त इरशाद अहमद पुत्र स्व0 वकील अहमद निवासी अचलीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को भोराजपुर ओवर ब्रिज के पास से समय करीब 8.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 213/22 धारा 376/506/452 IPC व 3(2)5क SC/ST ACT थाना अतरौलिया आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. इरशाद अहमद पुत्र स्व0 वकील अहमद निवासी अचलीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. SO मदन कुमार गुप्ता 2. का0 सद्दाम हुसैन 3. का0 चन्द्रेश कुमार 4. का0 राजू यादव थाना अतरौलिया, आजमगढ़।

### थाना- रौनापार

#### धारा 307 में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –** वादी श्री आजाद पुत्र झूरी राम सा0 बरडीहा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के लिखित प्रार्थना कि विपक्षीयण द्वारा औरतो के विवाद को लेकर एकाएक प्रार्थी को लाठी डण्डा व ईंट पत्थर से जान मारने की नियत से मारना पीटना जिसमे प्रार्थी के भाई सूरजमल, हरिश्चन्द्र पुत्रगण झूरी राम व वंदना पत्नी सूरजमल का भी मार-पीट के दौरान सिर फट जाना व जाते समय गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध मे दाखिल किये जिसके आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 221/22 धारा 307/323/504/506 भादवि बनाम (1) विनोद पुत्र रामसतीश (2) संदीप पुत्र रामसतीश (3) राणा प्रताप पुत्र रामसतीश व (4) रणजीत पुत्र राम सतीश समस्त साकिनान बरडीहा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।
- गिरफ्तारी का विवरण -** उ0नि0 भगवान यादव मय हमराह द्वारा आज दिनांक 26.06.22 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त (1) विनोद पुत्र रामसतीश उम्र 30 वर्ष 2. संदीप पुत्र रामसतीश उम्र 25 वर्ष निवासीगण बरडीहा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को उसके घर ग्राम बरडीहा से मुकदमे मे नामजद अभियुक्त बताकर समय करीब 07.30 बजे अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

### पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 221/22 धारा 307/323/504/506 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. विनोद पुत्र रामसतीश उम्र 30 वर्ष 2. संदीप पुत्र रामसतीश उम्र 25 वर्ष निवासीगण बरडीहा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़  
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- उ0नि0 श्री भगवान यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
- हे0का0 दीपक कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
- का0 राजन कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

### थाना- बिलरियागंज

#### गैंगेस्टर एक्ट में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

### संक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 136/2022 धारा 3(1)उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 बनाम (1) मिस्टर पुत्र समसुद्दीन सा0 शेखूपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ (2) सौकत पुत्र इम्तियाज सा0 शेखूपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, (3) अलकमर पुत्र मो0 सफीक सा0 शेखूपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है जिसमे वांछित अभियुक्तगण मिस्टर व सौकत उपरोक्त को आज दिनांक 26.06.2022 को गिरफ्तार किया गया है।

### गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 26.06.2022 को थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त (1) मिस्टर पुत्र समसुद्दीन सा0 शेखूपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ (2) सौकत पुत्र इम्तियाज सा0 शेखूपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ को शेखूपुर पुलिस के पास से समय करीब 05.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

### गिरफ्तार वांछित अभियुक्त

(1) मिस्टर पुत्र समसुद्दीन सा० शेखूपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ ।

(2) सौकत पुत्र इम्तियाज सा० शेखूपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ ।

अपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 162/2021 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

2. मु०अ०सं० 136/2022 धारा 3(1) उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. SO विजय प्रकाश मौर्य थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

2. का० सत्यजीत यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

3. का० अभिषेक तिवारी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

4. का० राजन थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

5. म०का० शिखा पाण्डेय थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।